

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का झारखंड, राँची

प.सं.: सं.प्र.(ले.प.)/आवास आवंटन/पैनल-2022/1173

दिनांक: 08.02.2022

सूचना

आवास पैनल आवास आवंटन नियमावली - 2021 के अनुसार पैनल वर्ष - 2022 के लिए टाइप-II, III, IV एवं Exchange अंतर्गत तैयार कर कार्यालय के Site cag.gov.in/ag/jharkhand/en पर upload किया गया है।

इस सबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति को दिनांक 17.02.2022 तक सम्पदा प्रकोष्ठ में दर्ज कराई जा सकती है।

भवदीय

हो/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/संपदा प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:

ज्ञापांक संख्या-सं.प्र.(ले.प.)/आवास आवंटन/ पैनल-2022/1174-1184

दिनांक- 08.02.2022

1. सचिव प्रधान महालेखाकार (ले.प.), झारखंड, राँची
2. सचिव प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखंड, राँची
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ले.प.), झारखंड, राँची
4. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखंड, राँची
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, (लेखापरीक्षा)/ प्रशासन का.प्र. महालेखाकार (ले.प.), झारखंड, राँची
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, (लेखा एवं हक)/ प्रशासन का.प्र. महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखंड, राँची
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन का. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन का. महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), राँची
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन का. महानिदेशक लेखापरीक्षा(केन्द्रीय), लखनऊ, शाखा, राँची
10. DAC Cell को कार्यालय site पर upload करने हेतु।
11. सूचना पट्ट

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/संपदा प्रकोष्ठ